



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062022-236622
CG-DL-E-16062022-236622

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 15, 2022/ज्येष्ठ 25, 1944

No. 307]

NEW DELHI WEDNESDAY, JUNE 15, 2022/JYAISTHA 25, 1944

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. 54-बाई-इलै.(1)/2022.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 4 के उपनियम (2) के अनुसरण में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान, पश्चिमी भारत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य तथा दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं, से संस्थान की पच्चीसवीं परिषद् में हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण तारीखों को अधिसूचित करता है :—

क्रम सं.	निर्वाचन के प्रक्रम	नियत तारीखें
1.	नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख और समय	07.07.2022—सायं 6.00 बजे
2.	(i) नामांकनों की संवीक्षा की तारीख(खें) और स्थान ; और (ii) नामांकनों की संवीक्षा के लिए अंतिम तारीख	14.07.2022 [बाह्य सीमा] (नई दिल्ली)
3.	नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख और समय	25.07.2022—सायं 6.00 बजे

4.	मतदान की तारीख या तारीखें - (i) अहमदाबाद, औरंगाबाद (एम.एच.), भयंदर, चिंचवाड़, डोंबिवली, कल्याण, मीरा रोड, मुंबई, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, पुणे, राजकोट, सूरत, ठाणे और वदोदरा शहरों के लिए (ii) अन्य नगरों/शहरों के लिए	16 और 17.09.2022 17.09.2022
5.	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 28 के अधीन डाक द्वारा मतदान करने की अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख	14.07.2022
6.	मतदाताओं से डाक द्वारा मतपत्र वापस प्राप्त करने की अंतिम तारीख एवं समय	20.09.2022—सायं 5.00 बजे
7.	मतगणना की तारीखें	22.09.2022 से 27.09.2022
8.	परिणामों की घोषणा की तारीख	अंतिम रूप से 30.09.2022* तक

* किसी निर्वाचन विवाद संबंधी आवेदन को फाइल करने के लिए परिसीमा अवधि का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए वह तारीख गणना में ली जाएगी, जिसको वस्तुतः निर्वाचन के परिणामों की घोषणा को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, रिटर्निंग अधिकारी और सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./125/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2022

(Chartered Accountants)

No. 54-Bye-EL(1)/2/2022.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 4 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the following important dates relating to the bye-election to fill the casual vacancy on the twenty fifth Council of the Institute from the Western India Regional Constituency, comprising the States of Goa, Gujarat and Maharashtra and the Union Territories of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu :—

Sl. No.	Stages of Election	Dates Fixed
1.	The last date and time for receipt of nominations	07.07.2022 – 6.00 P.M.
2.	(i) Date(s) and place of scrutiny of Nominations; and (ii) Last date for scrutiny of nominations	14.07.2022 [outer limit] (New Delhi)
3.	The last date and time for withdrawal of nominations	25.07.2022 – 6.00 P.M.
4.	The date or dates of polling for —	

	(i) Ahmedabad, Aurangabad (MH), Bhayandar, Chinchwad, Dombivali, Kalyan, Mira Road, Mumbai, Nagpur, Nashik, Navi Mumbai, Pune, Rajkot, Surat, Thane and Vadodara	16 & 17.09.2022
	(ii) Other cities/towns	17.09.2022
5.	The last date for receipt of applications for permission to vote by post under rule 28 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006	14.07.2022
6.	The last date and time for receipt by post of ballot papers back from voters	20.09.2022 – 5.00 P.M.
7.	Dates of Counting of Votes	22.09.2022 to 27.09.2022
8.	The date of declaration of results	Latest by 30.09.2022*

* The date to be reckoned for the purpose of determining the limitation period for filing election dispute application shall be the date on which the declaration of results is eventually notified in the Gazette of India.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Returning Officer and Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./125/2022-23]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. 54-बाई-इलै.(1)/3/2022.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 की अनुसूची 4 के साथ पठित उसके नियम 9 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान यह अधिसूचित करता है कि ऐसे अभ्यर्थियों के, जो पश्चिमी भारत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य तथा दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं, से संस्थान की पञ्चीसवीं परिषद् में हुई एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए सितंबर, 2022 में कराए जाने वाले उप-निर्वाचन में खड़े होने के इच्छुक हैं, नामांकन पत्रों को उक्त नियमों के नियम 9 में विनिर्दिष्ट रीति (जिसके ब्यौरे नामांकन प्ररूप में भी मुद्रित पाए जाएंगे) में सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, रिटर्निंग अधिकारी और परिषद् के सचिव (नाम से) को संबोधित करते हुए, इस प्रकार आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110002 को अग्रेषित किया जा सकेगा जिससे कि वो 07.07.2022 को सायं 6.00 बजे तक उनके पास पहुंच जाएं।

नामांकन पत्र, संस्थान की परिषद् द्वारा उक्त नियमों के उपनियम (3) के अधीन अनुमोदित प्ररूप में और नियम 9 में विनिर्दिष्ट रीति में होंगे। नामांकन पत्र भरते समय, अभ्यर्थी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के उपबंधों, विशेषकर उक्त नियमों के नियम 9, 10, 11 और 12 में अंतर्विष्ट उपबंधों को ध्यान में रखेंगे। नामांकन प्ररूपों को तारीख 15 जून, 2022 से संस्थान के आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110002 में स्थित कार्यालय और साथ ही मुंबई स्थित प्रादेशिक कार्यालय और अहमदाबाद, नागपुर, पुणे, सूरत, ठाणे, और वदोदरा स्थित प्रमुख शाखाओं से प्राप्त किया जा सकता है। तथापि, रिटर्निंग अधिकारी और परिषद् के सचिव द्वारा नामांकन प्ररूप केवल नई दिल्ली स्थित उपरोक्त पते पर उक्त तारीख से स्वीकार किए जाएंगे।

उक्त नियमों के नियम 10 और 11 के अधीन संदाय करने के लिए अपेक्षित निर्वाचन फीस और प्रतिभूति निक्षेप का संदाय सचिव, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के पक्ष में एक मांगदेय ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा, जो नई दिल्ली में संदेय होगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, रिटर्निंग अधिकारी और सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./125/2022-23]

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2022

(Chartered Accountants)

No. 54-Bye-EL(1)/3/2022.— In pursuance of sub-rule (1) of rule 9 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 read with Schedule 4 thereto, the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that nominations of candidates who desire to stand for bye-election to fill one casual vacancy on the Twenty Fifth Council from the Western India Regional Constituency comprising the States of Goa, Gujarat and Maharashtra and the Union Territories of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, to be held in September, 2022 should be forwarded in the manner specified in rule 9 of the said Rules (details of which will be found printed in the Nomination Form also) addressed to CA. (Dr.) Jai Kumar Batra, Returning Officer and Secretary to the Council (by name), at ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi-110 002 so as to reach him not later than 6.00 P.M. on 07.07.2022.

The nomination shall be in the Form approved by the Council of the Institute under sub-rule (3) and in the manner specified in rule 9 of the said Rules. While filing the nominations, candidates should keep in mind the provisions of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, particularly those contained in rules 9, 10, 11 and 12 of the said Rules. The Nomination Forms can be had from the Office of the Institute at ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi-110002 as well as from the Regional Office at Mumbai and major Branches at Ahmedabad, Nagpur, Pune, Surat, Thane and Vadodara w.e.f. 15th June, 2022. The Nomination Forms will however be accepted by the Returning Officer and Secretary to the Council at the above address at New Delhi only, effective from the said date.

The fee of election and security deposit required to be paid under rules 10 and 11 of the said Rules must be by way of demand draft drawn in favour of the Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Returning Officer and Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./125/2022-23]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. 54-बाई-इलै.(1)/4/2022.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 10 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने यह विनिश्चय किया है कि सितंबर, 2022 में पश्चिमी भारत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से आयोजित किए जाने वाले उसकी पच्चीसवीं परिषद् के उप-निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन का कोई अभ्यर्थी अपनी उम्मीदवारी के लिए फाइल किए जाने वाले नामांकनों की संख्या पर ध्यान न देते हुए कुल 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए) की फीस का संदाय करेगा।

उक्त फीस का संदाय, सचिव, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के पक्ष में और नई दिल्ली में संदेय एक मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

सी.ए. (डा.) जय कुमार बत्रा, रिटर्निंग अधिकारी और सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./125/2022-23]

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2022

(Chartered Accountants)

No. 54-Bye-EL(1)/4/2022.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 10 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, the Institute of Chartered Accountants of India has decided that in respect of bye-election to its Twenty Fifth Council from Western India Regional Constituency to be held in September, 2022, a candidate for election shall pay a fee of Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand only) for his candidature, irrespective of the number of nominations that may be filed.

The said fee is required to be paid by way of a demand draft drawn in favour of Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Returning Officer and Secy.

[ADVT.-III/4/Extty./125/2022-23]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. 54-बाई.-इलै.(1)/5/2022.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 11 के उपनियम (1) के अनुसरण में, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान यह अधिसूचित करता है कि सितंबर, 2022 पश्चिमी भारत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से में आयोजित किए जाने वाले उसकी पञ्चीसवीं परिषद् के उप-निर्वाचन के संबंध में, कोई अभ्यर्थी, फाइल किए जाने वाले नामांकनों की संख्या पर ध्यान न देते हुए अपनी उम्मीदवारी के लिए प्रतिभूति निक्षेप के रूप में 20,000/- रुपए (बीस हजार रुपए) की रकम का संदाय करेगा। यदि वह संबद्ध प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए ऐसे मूल मतों, जिसे उक्त नियमों के नियम 35 में परिभाषित किया गया है, के 2% (दो प्रतिशत) से अन्यून मत प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा इस प्रकार संदत्त प्रतिभूति निक्षेप जब्त हो जाएगा।

उक्त निक्षेप का संदाय, सचिव, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के पक्ष में और नई दिल्ली में संदेय एक मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

सी.ए. (डा.) जय कुमार बत्रा, रिटर्निंग अधिकारी और सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./125/2022-23]

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2022

(Chartered Accountants)

No. 54-Bye-EL(1)/5/2022.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 11 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, the Institute of Chartered Accountants of India hereby notifies that in respect of bye-election to its Twenty Fifth Council from Western India Regional Constituency to be held in September, 2022, a candidate shall pay an amount of Rs.20,000/- (Rupees Twenty Thousand only) as

security deposit, for his candidature, irrespective of the number of nominations that may be filed. The security deposit so paid shall be forfeited, if he fails to secure not less than 2% (two percent) of the original votes, as defined in rule 35 of the said Rules, polled in the concerned Regional Constituency.

The said deposit is required to be paid by way of a demand draft drawn in favour of Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Returning Officer and Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./125/2022-23]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. 54-बाई-इलै.(1)/6/2022.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 की अनुसूची 6 के साथ पठित उसके नियम 21 और 29 के अनुसरण में यह अधिसूचित किया जाता है कि 16 और 17 सितंबर, 2022 की तारीखों को अहमदाबाद, औरंगाबाद (एम.एच.), भयंदर, चिंचवाड़, डोंबिवली, कल्याण, मीरा रोड, मुंबई, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, पुणे, राजकोट, सूरत, ठाणे और वडोदरा के लिए पश्चिमी भारत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से पञ्जीसवीं परिषद् के उप-निर्वाचन के लिए मतदान की तारीखों के रूप में नियत किया गया है। अन्य सभी स्थानों पर मत डालने के लिए 17 सितंबर 2022 की तारीख नियत की गई है।

सभी मतदान केंद्र संबंधित तारीख(तारीखों) पर प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक खुले रहेंगे।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, रिटर्निंग अधिकारी और सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./125/2022-23]

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2022

(Chartered Accountants)

No. 54-Bye-EL(1)/6/2022.—In pursuance of rules 21 and 29 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 read with Schedule 6 thereof it is hereby notified that 16th and 17th September, 2022 have been appointed as the dates for the recording of votes for the bye-election to the Twenty Fifth Council from Western India Regional Constituency for Ahmedabad, Aurangabad (MH), Bhayandar, Chinchwad, Dombivali, Kalyan, Mira Road, Mumbai, Nagpur, Nashik, Navi Mumbai, Pune, Rajkot, Surat, Thane and Vadodara. At all other places, 17th September, 2022 has been appointed as the date for recording of votes.

All polling booths will remain open from 8.00 a.m. to 8.00 p.m. on the respective date(s).

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Returning Officer and Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./125/2022-23]